कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/सी–5/नियमितिकरण–स्थाईकरण/आक्षेप/2013/47 दिनांक - 7 FEB 2013

1 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
2 प्रधानाचार्य राउमावि/~~रामाउमावि~~ मेहाजिन सिंह (जमपुर)

विषय:– नियमितिकरण–स्थाईकरण के क्रम में।
प्रसंग:– आपका पत्रांक दिनांक......................

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में श्री .... व्याख्याता (........) के नियमितिकरण–स्थाईकरण प्रकरण के सन्दर्भ में लेख है कि मूल प्रकरण आपको लौटाया जाकर आपसे निम्न आक्षेपो की पूर्ति अपेक्षित है:–

1. प्रोबेशनर ट्रेनी व्याख्याता के नियमितिकरण/स्थाई हेतु प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर भिजवावे
2. प्रकरण सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भिजवावे। (**प्रपत्र नेट पर उपलब्ध है /संलग्न है**)
3. यदि प्रोबेशनर ट्रेनी व्याख्याता पूर्व से ही राजकीय सेवामे कार्यरत है तो प्रोबेशनर ट्रेनी को प्रोबेशनर अवधि में एक वर्ष में 12–12 आकस्मिक अवकाश ही देय है आप द्वारा प्रथम वर्ष में .....17..... व द्वितीय वर्ष में ..4...... आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये है जो नियमानुसार नही है अधिशेष आकस्मिक अवकाश का अन्य देय अवकाशों में स्वीकृत करें तदानुसार ही प्रकरण तैयार कर भिजवावे
4. आकस्मिक अवकाशो का दिनांक वार विवरण अंकित नही किया गया निर्धारित कॉलम में दिनांक वार (व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण तिथि से एक वर्ष) विवरण अंकित करें। कॉलम छोटा हो तो पृष्ठ संलग्न करें।
5. स्वीकृत किये गये उपार्जित अवकाश/परिवर्तित अवकाश/असाधारण/अवैतनिक/अन्य अवकाशों के स्वीकृती आदेशो की या सेवारिकार्ड में इन्द्राज भाग की छाया प्रति संलग्न करें।
6. अधिशेष अवकाशो का देय अवकाशों में या अवैतनिक/ असाधारण अवकाश स्वीकृत कर यदि वसूली की जाने वाली राशि है तो नियमानुसार राशि वसूल कर चालान द्वारा जमा कराकर चालान की प्रमाणित प्रति सहित प्रकरण भिजवावे।
7. डी.पी.सी द्वारा चयनित आशार्थी के स्थाईकरण करने की आवश्यकता नही।
8. कार्यग्रहण रिपोर्ट में कार्यग्रहण के समय (दोपहर पूर्व/पश्चात) का उल्लेख नही है। छाया प्रति संलग्न करें।
9. यदि प्रोबेशनर ट्रेनी व्याख्याता के आकस्मिक अवकाश की गणना कार्यग्रहण दिनांक से एक वर्ष की की जानी है न की शैक्षणिक वर्ष से। (जैसे कार्यग्रहण दि0 01.12.10 है तो 30.11.11 तक गणना की जानी है।
10. प्रोबेशनर ट्रेनी व्याख्याता का 2 वर्ष का बोर्ड परीक्षा परिणाम संलग्न नही है।
11. ....
12. ....
13. ....

शैक्षिक समाचार राजस्थान

संलग्न:– मूल प्रकरण प्रक्रमानुसार

सहायक निदेशक (संस्था–सी)

Scanned by CamScanner